

**बिहार सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**  
**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**सिंचाई प्रमंडल, घोषी (जहानाबाद)**  
**अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या -03/2023-24**

पत्रांक :- 29

/घोषी,

दिनांक :- 10/01/24

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, घोषी, जहानाबाद।
2. निविदा विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक 18.01.2024 समय 3:30 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 19.01.2024 समय 3:00 बजे अपराह्न।
4. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 20.01.2024 समय 11.00 बजे पूर्वाह्न।
5. परिमाण- विपत्र बिक्री का कार्यालय : 1) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालंदा, बिहारशरीफ।  
2) अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नालंदा, बिहारशरीफ।  
3) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, घोषी, जहानाबाद।
6. निविदा प्राप्ति का स्थान : क्रमांक 5 के सभी कार्यालयों में।
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार तकनीकी बीड में सफल निविदादाता को सूचित किया जाएगा।
8. निविदा प्रकाशन की तिथि : 10.01.2024

**9. कार्य विवरणी**

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण - विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रु० में)	कार्य समाप्ति की तिथि	स्थानीय अभिकर्ता के संबंधित जिला
01	Renovation of Old Division Office under Irrigation Division, Ghosi	10,09,436.00	20,200.00	2,500.00	30 दिन	जहानाबाद
02	Repair and Painting of Ghoshi I.B. under Irrigation Division, Ghoshi	12,72,269.00	25,500.00	2,500.00	30 दिन	जहानाबाद

निविदा के नियमों, शर्तों एवं विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय सूचना पट्ट पर तथा निविदा प्रपत्र की बिक्री के स्थान पर सम्पर्क किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए <https://state.bihar.gov.in/wrd/> पर देखा जा सकता है।

  
कार्यपालक अभियंता,  
सिंचाई प्रमंडल, घोषी।  
मो०-9631976262 / 7463889890

**बिहार सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**  
**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**सिंचाई प्रमंडल, घोषी (जहानाबाद)**  
**अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या -03/2023-24**

पत्रांक :-

/घोषी,

दिनांक :-

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, घोषी, जहानाबाद।
2. निविदा विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक 18.01.2024 समय 3:30 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 19.01.2024 समय 3:00 बजे अपराह्न।
4. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 20.01.2024 समय 11.00 बजे पूर्वाह्न।
5. परिमाण- विपत्र बिक्री का कार्यालय : 1) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालंदा, बिहारशरीफ।  
2) अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नालंदा, बिहारशरीफ।  
3) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, घोषी, जहानाबाद।
6. निविदा प्राप्ति का स्थान : क्रमांक 5 के सभी कार्यालयों में।
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार तकनीकी बीड में सफल निविदादाता को सूचित किया जाएगा।
8. निविदा प्रकाशन की तिथि : 10.01.2024
9. कार्य विवरणी

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण - विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रु० में)	कार्य समाप्ति की तिथि	स्थानीय अभिकर्ता के संबंधित जिला
01	Renovation of Old Division Office under Irrigation Division, Ghosi	10,09,436.00	20,200.00	2,500.00	30 दिन	जहानाबाद
02	Repair and Painting of Ghoshi I.B. under Irrigation Division, Ghoshi	12,72,269.00	25,500.00	2,500.00	30 दिन	जहानाबाद

निविदा के नियमों, शर्तों एवं विशेष जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय सूचना पट्ट पर तथा निविदा प्रपत्र की बिक्री के स्थान पर सम्पर्क किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए <https://state.bihar.gov.in/wrd/> पर देखा जा सकता है।

ह०/-  
कार्यपालक अभियंता,  
सिंचाई प्रमंडल, घोषी।  
मो०-9631976262/7463889890

## नियम एवं शर्तें:

- 1 कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगा, अग्रधन की राशि प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत एवं 100/- रु0 के गुणक में होगा ।
- 2 अग्रधन की राशि डाकघर बचत खाता 1/2/3 वर्षीय डाकघर में सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवाँ निर्गम) अथवा बिहार सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रतिभूति जो कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, घोषी, जहानाबाद के पदनाम से विधिवत् प्रतिज्ञित के अलावा किसी भी तरह का स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निविदा सूचना निर्गत की तिथि के पूर्व प्रतिज्ञित की मान्यता नहीं दी जायेगी।
- 3 संवेदक को आवेदन के साथ परिमाण –विपत्र का मूल्य की राशि (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, घोषी, जहानाबाद के पदनाम से निर्गत हो तथा जो भारतीय स्टेट बैंक में भुगतये हो, को स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित अवधि में उपरोक्त वर्णित कार्यालयों में उपलब्ध कराने पर निविदा प्रपत्र प्राप्त होगा। परिमाण विपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जायेगा ।
- 4 निविदा दो मुहर बंद लिफाफे में (लाह/ चपड़ा से सील ) क्रमांक 01 एवं 02 जिसमें क्रमशः प्रीक्वालिफिकेशन बीड तथा प्राईस बीड रहेगा को समर्पित करना होगा। निविदा खोलने की तिथि को क्रमांक 06 में उल्लेखित सभी कार्यालयों में मात्र प्रीक्वालिफिकेशन वाले लिफाफे को खोला जाएगा। प्रीक्वालिफिकेशन की सफल होने वाले निविदाकारों की सूचित कर निर्धारित तिथि को खोला जायेगा, जो निविदाकार प्रीक्वालिफिकेशन बीड में असफल होंगे उनका अग्रधन की राशि जस का तस उन्हें लौटा दिया जाएगा।
- 5 पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 13589 (S), पटना, दिनांक 13.12.11 के कंडिका (4) के उप कंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रु0 25,00,000.00 (रु0 पच्चीस लाख) तक के कार्यों के निविदा में श्रेणी-4 में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे। कार्य की लागत रु0 25,00,000.00 (रु0 पच्चीस लाख) मात्र से कम होने के कारण इस निविदा में जहानाबाद जिला अंतर्गत श्रेणी-04 में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे।
- 6 निविदादाता के प्रीक्वालिफिकेशन बीड के साथ निम्नलिखित स्वअभिप्रमाणित दस्तावेज देना अनिवार्य है :-
  - (क) निविदादाता का समुचित श्रेणी में निबंधित होने का प्रमाण-पत्र ।
  - (ख) पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 निबंधन संख्या पत्र की प्रति।
  - (ग) चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति जो कि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अद्यतन निर्गत हो।
  - (घ) निर्गत परिमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि, बिहार सरकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमान्य स्वरूप में।
  - (ङ) निविदाकारों द्वारा निविदा कागजातों के साथ संलग्न किये जानेवाले सभी कागजातों की सत्यता के संबंध में एक अद्यतन नोटरी से निर्गत घोषणा पत्र /शपथ पत्र के रूप में दिया जाना आवश्यक होगा। घोषणा पत्र का प्रारूप निम्नवत् होगा :-

**"I the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing".**

- 7 वित्तीय बीड में संवेदक द्वारा दर अंकित किया जायेगा जो दशमलव के दो अंक तक मान्य होगा तथा माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC No 9941/ 2022 की दिनांक 06.07.2023 के सुनवाई के दौरान पारित न्यायादेश में दायर Writ याचिका को Dismissed कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक-536 दिनांक 18.07.2023 एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार के पत्रांक 4439 दिनांक 17.07.2023 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदत दर के न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर दिया गया है। निविदत दर Serious Unbalanced Rate होने की स्थिति में Additional Performance Guarantee पथ निर्माण विभाग, पटना के 418(S) दिनांक 16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा।
- 8 विभागीय निर्माण सामग्री उपलब्ध रहने पर संवेदक को निर्गत किया जा सकता है जिसके विरुद्ध निर्धारित दर पर विपत्र से कटौती कर ली जायेगी।
- 9 बिना कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 10 संवेदक को सभी कार्य विस्तृत परिमाण विपत्र में वर्णित शर्तों एवं स्वीकृत कार्य के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है तथा जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निविदा से संबंधित अद्यतन अनुदेश एवं शर्तें निविदा के लिए मान्य होगी।
- 11 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
- 12 संवेदक को ससमय कार्य पूरा करना होगा। ससमय कार्य पूरा करने के लिए संवेदक को Work programme समर्पित करना होगा।
- 13 सफल निविदादाता को यह कार्य प्रपत्र एफ-2 (वर्लोज 23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा।
- 14 01 प्रतिशत सेस की राशि संवेदक के विपत्र से काटकर बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मद में जमा किया जायेगा।
- 15 विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी से मिले या सूचना पदट पर देखें।
- 16 जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 599 दिनांक 06.12.2019 के अनुपालन में एम0 एवं एन0 प्रक्रिया के तहत Royalty/ Seigniorage Fee (मालिकाना फीस) की कटौती की जाएगी।
- 17 तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
18. एकरारनामा के समय विक्री-कर, श्रम अनुज्ञप्ति एवं पैन कार्ड का अभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा।
19. संवेदक को लिफाफे के उपर अपना दूरभाष संख्या तथा मोबाईल नं0 यथासंभव अंकित करना चाहिए ताकि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना उन्हें ससमय दी जा सके।

20. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग बिहार पटना का पत्रांक 29 दिनांक 25.01.2021 के आलोक में संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) जल संसाधन विभाग पटना का पत्रांक 129 दिनांक 04.02.2021 के क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक से निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
21. संदेहास्पद कार्य करने वाले एवं जिनके विरुद्ध कालीकृत करने की कार्रवाई चल रही है अथवा पूर्व में आबंटित कार्य की प्रगति अगर संतोषप्रद नहीं है तो ऐसे संवेदकों की निविदा मान्य नहीं होगी।

ह0/-  
कार्यपालक अभियंता  
सिंचाई प्रमंडल, घोषी।

पत्रांक :- 29 /घोषी, दिनांक :- 16-01-2024

प्रतिलिपि :- जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सहित राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित।

  
16/1/24  
कार्यपालक अभियंता  
सिंचाई प्रमंडल, घोषी।